संख्या:427/2016/1636/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक:20 दिसम्बर,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में शासनादेश संख्या: 555/35-4-2013 दिनांक 31 मार्च,2013 के द्वारा पेयजल परियोजनाओं के कार्यों की रू. 12301.28 लाख की लागात पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीक़ृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 4000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या: 602/35-4-2014 दिनांक 30 मार्च,2014 के द्वारा उक्त कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू.4920.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 32/ 1533/35-4-2014 दिनांक 22 दिसम्बर,2014 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 2765.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। एतदद्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को रू. 13051.67 लाख (एक सौ तीस करोड़ इक्यावन लाख सरसठ हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि			पुनरीक्षित लागत
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त	
1	इटावा शहर(नगर पालिका परिषद) पेयजल पुनर्गठन योजन के (लाइन आर) से संबंधित प्रायोजना	8745.24	2843.68	3498.10	1966.20	9127.43
2	इटावा शहर(नगर पालिका परिषद) पेयजल पुनर्गठन योजन के (लाइन पार) से संबंधित प्रायोजना	3556.04	1156.32	1422.41	799.51	3924.24
	योग	**12301.28**	**4000.00**	**4920.51**	**2765.71**	**13051.67**

1- सन्दर्भित शासनदेश दिनांक 31 मार्च,2013 एवं 30 मार्च,2014 तथा दिनांक 22 दिसम्बर,2014 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ स्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई और पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/ स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-1260/दस- 2016 दिनांक 19 दिसम्बर,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:427/2016/1636(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
8- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम,लखनऊ।
9- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकरी, इटावा।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।